[2018] 1 एस.सी.आर. 600

अजयेंद्र सांगवान और अन्य

बनाम

के के मोहन

अवमानना याचिका (सी) सं 2018 का 565, ट्रांसफर केस (सिविल) नं 126 का 2015

फरवरी 05, 2018

आर के अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे जे,

अधिवक्ता-राज्य बार काउंसिल-चुनाव-सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की कथित अवज्ञा के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाला आवेदन-आयोजितः बीसीआई ने संबंधित राज्य बार काउंसिल में चुनाव के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है-चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है जो सही और उचित है-बीसीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है-अवमानना याचिका खारिज कर दी गई है-न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971।

नागरिक मूल न्यायाधिकरणः अवमानना याचिका (सिविल) सं. 565/2018 हस्तांतरित मामले में (सिविल) सं. 126/2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

विक्रमजीत बनर्जी, राजीव दत्ता, मनन कुमार मिश्रा, महाबीर सिंह, वीएस गिरि, सीनियर एडव्स, रमेश बाबू एमआर, अनंत नारायण एम. जी., गौरव अग्रवाल, एस. हनीफ, पीयूष चौधरी, सत्य मित्रा, जेएस रावत, घनश्याम जोशी, सुश्री प्रतिभा जैन, तनुज अग्रवाल (मैसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए), अजेंदर सांगवान, विवेक नारायण शर्मा, सिद्धार्थ महाजन, राज कुमार शर्मा, एसएन शर्मा, एसके शर्मा, दीपक सेहरावत, तरुणेश कुमार, अरुण राठी, सीपी सिंह, संजय सिंह, शुभम अवस्थी, सुश्री स्वीटी चट्टोपाध्याय, रोहन शर्मा, सुश्री ऋशिना पाराशर, इरफान फिरदौस, कुणाल चोपड़ा, अनिरुद्ध कुमार, वीपी सिंह, नरेंद्र सिंह, धन सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, श्रीराम पी., सुश्री खुशबू जैन, विष्णु शंकर एम. एस., सुश्री अथिरा जी. नायर, अंकुर एस. कुलकर्णी, अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद, सुश्री तरुण अर्धेन्दुमौली प्रसाद, निर्मल कुमार अंबस्थ, नमित सक्सेना, सुश्री अंजुल

द्विवेदी, सुश्री गुनवंत दारा, राजेश रंजन, एम. के. मारोरिया, श्रीमती सरला चंद्र, सचिन पाटिल, प्रवीण अग्रवाल, गगन गुप्ता, एच. चंद्रशेखर,

अजयेंद्र सांगवान और अन्य बनाम के. के. मोहन

अश्वनी कुमार दुबे, संजीव क्र. बलियान, पुरविश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता मलकान, सुश्री दीपा गोरसिया, भास्कर सिंह, सुश्री मधुसमिता बोरा, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, श्रीमती नंदिनी गोरे, परमानंद पांडे, सुदर्शन सिंह रावत, सुश्री पोली कटकी, आर. बालासुब्रमण्यम, गौरव शर्मा, सुश्री. अमनदीप कौर, ढाल मोहन, प्रतीक भाटिया, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री केवी भारती उपाध्याय, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, मोहिंदर जीत सिंह, प्रांग न्यूमाई, सुश्री स्लोमिता राय, ईसी अग्रवाल, हिमिंदर लाल, शिवाशीष मिश्रा, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, सुभाशीष मोहंती, मोहम्मद सादिक टीए, अमोल बी. करंडे, विजय कुमार, गोपाल प्रसाद, अनुपम लाल दास, एम/एस. वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, सुश्री स्नेहा कलिता, विकास उपाध्याय, विदित मोंगा, सुश्री अपर्णा झा, डॉ. कैलाश चंद, जोगी स्कारिया, सुश्री बीना विक्टर, राकेश के. शर्मा, एसएस शमशेरी, अमित शर्मा, अंकित राज, सुश्री. इंदिरा भाकर, सुश्री रूचि कोहली, विपिन कुमार, बलदेव अभ्युदय, दीपक गोयल, कमल कुमार पांडे, आदित्य सिंह, पीजुश के. रॉय, सुश्री काकली रॉय, राजन के. चौरसिया, सुश्री ललिता कोहली, अभिषेक स्वरूप (मैसर्स के लिए) मनोज स्वरूप एंड कंपनी), डॉ. मनीष सिंघवी, शैलजा नंदा मिश्रा, सत्येंद्र कुमार (इरशाद अहमद के लिए), सुधांशु एस. चौधरी, सुश्री राधिका चतुर्वेदी, हितेश कुमार शर्मा, एसके राजोरा (सुश्री मंजू जेटली के लिए), श्रीमती संतोष सिंह, सुश्री मालिनी पोदुवल, अनुराग दुबे, अजीत कुमार पाठक, संचित माहेश्वरी, एसआर सेटिया, सुश्री कामाक्षी एस. मेहवाल, वाई. राजा गोपाल राव, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, राजीव सिंह, अंजनी कुमार मिश्रा, सुश्री क्रिस्टी जैन, हरविंदर चौधरी, मैसर्स. लेमैक्स लॉयर्स एंड कंपनी, विशाल खट्टर, सुश्री सी. रुबवती, एमए चिन्नासामी, के. एथिराज, पीवी दिनेश, एवी रंगम, बड्डी ए. रंगनाधन, सुनील फर्नांडीस, सुश्री नूपुर कुमार, हर्ष वी. सुराना, गौरव अग्रवाल, कुणाल सिंह, पुखरंबम रमेश कुमार, सुश्री राहत शर्मा, शिशिर पिनाकी, राजीव कुमार सिन्हा, सुमि पीएस, विभाकर मिश्रा, केके गौतम, उमेश पी. वाधवानी, दीपेंद्र कुमार पाठक, निश्चल कुमार नीरज, शुभेंदु सुवासिस दास, केवी मोहन, अतुल झा, संदीप झा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्तागण

न्यायालय का आदेश न्यायाधिपति **आर. के. अग्रवाल, जे.** द्वारा दिया गया,

1. यह याचिका वर्तमान आवेदकों द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए दायर की गई है, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.12.2017 की कथित अवज्ञा के लिए दिनांक 23.08.2017 और 24.11.2017 के आदेशों के साथ हस्तांतरित मामले (सी) सं. 126/2015 में पारित किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 1 एससीसीआर.

2. 23.01.2018 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीडी) की ओर से दायर निर्देशों के लिए आवेदन में, हम पाते हैं कि बीसीआई ने संबंधित राज्य बार काउंसिल में चुनाव के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अलावा, हमारा विचार है कि बीसीआई द्वारा अंतिम रूप दिया गया चुनाव कार्यक्रम सही और उचित है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि बीसीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई मामला नहीं पाया जाता है। अवमानना याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

अवमानना याचिका खारिज की गयी।

दिव्या पांडे

Jai Shankar Mishra